न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 222/11 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री हिरालाल पिता स्व. ताराचन्द पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री किशनलाल पिता स्व. ताराचन्द पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. लक्ष्मी पुत्री स्व. ताराचन्द पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. जशोदा पुत्री स्व. ताराचन्द पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. मु. हगामी पुत्री कालु पुरी पत्नी रूपगिरी निवासी बिछिवाडा (मजावडा) तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 07.02.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 1719, 1724, 1727, 1733, 1735, 1736 किता 6 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा जिसके गत पेमाईश के पुराने नम्बर क्रमशः 1038, 1035, 1042, 1029, 1031 किता 5 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जो राजस्व रेकार्ड में स्व. श्री कालुपुरी पिता रूप पुरी गुसाई के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि स्व. श्री कालुपुरी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को सम्वत् 2006 मगसर सुदी 6 दिनांक 25.11.1949 को गणेशपुरी के 1/2 हिस्सा सहित स्व. कालुपुरी ने लिया। उसे प्रार्थीगण के पिता ताराचन्द जी के रहन रखा तत्पश्चात् सम्वत् 2007 भादवा सुदी 13 को उक्त जमीन कुलिया व कुंए का 1/6 हिस्सा सहित स्व. ताराचन्द जी के रहन रख कब्जा सिपुर्द किया जिसकी लिखापढी दिनांक 04.12.1949 व उसी दिन लिखापढी के साथ 150 एक सौ पचास रूपया और लेकर सम्वत् 2007 में रहन की अवधि 5 साल का रहन नामा स्टाम्प पर लिख दिया। तब से उक्त जमीन गत पेमाईश का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं।
3. यह कि प्रार्थीगण के स्व. पिता ताराचन्द जी व राजस्व रेकार्ड में अंकित खातेदार कालुपुरी पिता रूपपुरी के विरूद्व 868.50/– आठ सौ अडेसठ रूपया पचास पैसा के अलावा खर्चा डिक्री दिनांक 07.08.1954 को मुकदमा नम्बर 94/1954 में कालुपुरी के

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

विरूद्व पारित डिक्री की ईजराय में उक्त कृषि भूमि कुर्क की जाकर कुर्की कायम रख कालुपुरी के उजरदारी को खारिज कर स्व. ताराचन्द जी के पक्ष में निर्णय पारित किया जिसकी नकल पेश हैं।

4. यह कि विपक्षी सं. 1 के पिता स्व. कालुपुरी ने उक्त रहनसुदा आराजीयात को रहन से नहीं छुडाई तथाा उक्त रूपये की वसूली कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व. ताराचन्द जी के उन रूपया पेटे कब्जे काश्त में रही जिसके अनुसार भी प्रार्थीगण उक्त भूमि को खातेदार काश्त कराने के अधिकारी हैं।

5. यह कि सेटलमेन्ट सन् 1965 में हुआ था। उस समय भी सेटलमेन्ट विवादित भूमि पर स्व. ताराचन्द जी के कब्जे काश्त में होने पर सेटलमेन्ट खसरा पत्रक में भी रहन ताराचन्द जी के नाम का अंकन हैं। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो गया हैं। उनके जीवनकाल से विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में हैं।

6. यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त को गत 60 वर्षो से निरन्तर होने से व निरन्तर भू. राजस्व अदा कर रहे है। विपक्षीगण को धारा 63 (4) काश्तकारी अधिनियम के तहत् उनका अधिकार भी समाप्त हो चुका हैं। जिससे भी प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने खाते कराने के अधिकारी हैं।

7. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात सम्वत् 2006 से प्रार्थीगण के पिता के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही हैं तथा स्व. कालुपुरी ने भी रहन से जायदाद को नही छुडाई जिससे प्रार्थीगण का आधिपत्य गत 60 वर्षो से निरन्तर कब्जे काश्त में हो उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार से प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं।

8. यह कि कालुपुरी करीब 50 साल पूर्व से ही गांव साकरोदा छोडकर चला गया व उसकी मृत्यु हुए भी काफी अरसा हो गया हैं। कालु की पुत्री विपक्षीगण सं. 1 जो गांव साकरोदा से काफी दूर बिछीवाडा में रहती हैं। विपक्षीगण को विवादित भूमि भी उसकी जानकारी में नहीं है और नहीं कभी साकरोदा में आई भूमाफियों से साठगांठ कर अपने पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन होने से विपक्षीगण सं. 1 कि नियत में फितुर आ गया। विपक्षीयां असामाजिक तत्वों एवं भूमाफियों से मिलकर विवादित भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थीगण को दुखी करने एवं क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज लिखने व नामान्तरण करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की कूट रचना कर रही हैं।

9. यह कि विपक्षीगण सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे तथा प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य हकाई बुवाई व फसल कटाई आदि में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करे तथा नहीं किसी अन्य व्यक्ति को उक्त कृषि भूमि का भाग

सहायक कलक्टर
(SDC) भावली

Scanned with CamScanner

विक्रय रहन बैह बक्षीस या न ही अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करे उक्त कार्य न स्वयं करे न अन्य किसी से करावे।

10. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे न प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करे न उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बेह बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करे न राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करावें। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे या अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण जारी फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

11. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि रहन की मयाद समाप्त होने पर रहन की राशि अदा कर रहनशुदा आराजीयात पर मुझ विपक्षीयां के पिता ने कब्जा प्राप्त कर लिया है। रहन की मयाद समाप्त होने के बाद प्रार्थीगण का कब्जा चले आने का सारा कथन गलत हैं। रेकार्ड में रहन दर्ज रह जाने से कार्यवाही हुई है, जबकि रहन की मयाद समाप्त होने पर मौके पर कब्जा मुझ विपक्षीयां के पिता ने प्राप्त कर लिया था। रहन की मयाद समाप्त होने पर मुझ विपक्षीयां के पिता ने रहन की रकम अदा कर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रार्थीगण का कब्जा चला आने का सारा कथन मिथ्या हैं। रहन की मयाद समाप्त होने के बाद जब प्रार्थीगण का कब्जा हीं नहीं रहा ऐसी हालत में खातेदार काश्तकार होने का सारा कथन गलत हैं। रहन की मयाद समाप्त होने पर रहन की रकम अदा कर विपक्षीयां के पिता ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। यदि रेकार्ड से रहन का दाखला नहीं हटाया गया तो उस आधार पर प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण का कोई अधिकार नहीं रहता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कब्जा होने का सारा कथन गलत हैं। जब कब्जा ही नहीं रहा, न है तो ऐसी स्थिति में खातेदारी घोषित कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।

12. यह कि प्रार्थीगण का गत 60 वर्ष से कब्जे काश्त में होने का सारा कथन गलत है लगान की रकम मुझ विपक्षीयां के पिता ने समय समय पर जमा कराने हेतु प्रार्थीगण के पिता को अदा की उनके द्वारा जमा कराने से उन्हे किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का सम्वत् 2006 से कब्जा चला आने का सारा कथन गलत है रहन की मयाद समाप्त होने पर रहन की रकम अदा कर विपक्षीयां के पिता ने कब्जा प्राप्त कर लिया था, उनकी मृत्यु के बाद

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

विपक्षीयां काबिज हो भोग उपभोग कर रही हैं। जब प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं रहा तो ऐसी हालत में प्रतिकूल कब्जा होने का सारा कथन गलत हैं।

13. यह कि कालुपुरी जी का करीब 50 वर्ष पूर्व ग्राम साकरोदा छोड कर चले जाने का सारा कथन गलत है। विपक्षीयां वर्तमान में बिछीवाडा, मजावडा रहती है, परन्तु साकरोदा की जमीन की देखरेख करने, बुआई, हकाई, कटाई कराने के लिए समय समय पर बराबर आती जाती हैं। प्रार्थीगण का यह कथन भी सरासर गलत है कि विपक्षीयां को जमीन की जानकारी नहीं हो, जबकि विपक्षीयां प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में खेतों की देखरेख, बुआई, हकाई, कटाई आदि कराती आ रही हैं। प्रार्थीगण का यह कथन भी निराधार है कि विपक्षीयां भूमाफिया से साठ गांठ कर जमीन बेचने पर तुली हुई है वैसे कानूनन विपक्षीयां को अपने खातेदारी की जमीन को बेचने का पूरा पूरा अधिकार हैं।

14. यह कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थीगण मुझ विपक्षीयां के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं।

15. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रहन नामा अनरजिस्टर्ड होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थीगण मुझ विपक्षीयां खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं।

16. यह कि प्राइमाफेसी एव सुविधा संतुलन भी मुझ विपक्षीयां के पक्ष में है। यदि मुझ विपक्षीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होती है तो मुझे भारी अशोधनीय हानि होगी क्योंकि मेरे जीवन यापन का एकमात्र साधन यही आराजी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। ताईद में विपक्षीयां का शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

17. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRD 2007 Page 660, DNJ 2008 (1) Page 226 पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRD 2009 Page 619, RRD 1997 Page 30, RRD 2011 Page 54, RRD 2012 Page 20, DNJ 2013 Page 18, RLW 2006 (1) Page 18, RRD 1984 Page 492, RRT 2018 (2) Page 1037 पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी

akhay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान मे कालुपुरी पिता रूपपुरी गुसाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। कालुपुरी विपक्षी सं. 1 के पिता हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि खातेदार कालु के नाम दर्ज होकर विपक्षी सं. 1 का पिता हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

19. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में खोतदार कालु के नाम पर दर्ज है जो जमाबन्दी से स्पष्ट हैं। कालु विपक्षी सं. 1 का पिता हैं। प्रार्थीगण के तर्क अनुसार खातेदार कालुपुरी ने अपना हिस्सा दिनांक 04.12.1949 को 150/– रूपये लेकर प्रार्थीगण के पिता ताराचन्द जी के रहन रखा, तभी से प्रार्थीगणों का कब्जा चला आ रहा हैं। इस बाबत् कालुपुरी के विरूद्व 868.50/– के अलावा खर्चा डिक्री दिनांक 07.08.1954 को मुकदमा नम्बर 94/1954 में कालुपुरी के विरूद्व पारित डिक्री की ईजराय में उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर ताराचन्द जी के पक्ष में निर्णय पारित होने का कथन किया है तभी से मौके पर प्रार्थीगणों का 60 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने से विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं।

20. प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में कालुपुरी के नाम पर ही दर्ज हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। 60 वर्षो से लगातार कब्जे के तथ्य को इस पत्रावली में निस्तारित नहीं किया जा सकता हैं। उक्त बिन्दू को साक्ष्य सबूत के आधार पर मूल वाद में तय किया जाना हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज हैं। खातेदार के विरूद्व अस्थाई

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा जारी होने पर खातेदार के साथ न्याय नहीं होकर खातेदार को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्य से भिन्न होने पर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान् काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner